राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकःप0 5(51)/साप्र/3/04 जयपुर,दिनांक 6-9-10

आदेश

राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हे मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है को देय सुविधाओं में मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा कमांक प0 11(1) मंमं/99 दिनांक 30.7.10 के द्वारा संशोधन करतें हुये दिनांक 1.4.10 से निवास हेतु निम्नानुसार कॉल्स की सीमा पुनः निर्धारित की है :–

1. माननीय मंत्रीस्तर हेतु 20000 कॉल्स प्रति दो माह
2. माननीय राज्यमंत्रीस्तर हेतु 17000 कॉल्स प्रति दो माह

अतः विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हे मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है को निवासीय दूरभाष के लिए उक्त निर्धारित कॉल्स सीमा राशि के अन्तर्गत स्थायी लैण्डलाइन टेलीफोन/पोस्टपेड मोबाइल/ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट मॉडम सहित की सुविधायें इस शर्त के साथ अनुज्ञेय होगी कि मोबाइल फोन का यंत्र संबंधित उपभोगकर्ता का निजी होगा। उक्त सुविधायें दिनांक 1.4.10 से प्रभावी होगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई0डी0 संख्या 131000833 दिनांक 30.8.10 द्वारा दी गयी सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, राज्य महिला आयोग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयोग निःशक्तजन।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष कीडा परिषद् जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग।
8. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड।
9. निजी सचिव (उप सचिव) मुख्य सचिव।
10. महालेखाकार, राज0, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. उप शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को उनके उक्त आदेश के संदर्भ में।
13. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
15. कन्ट्रोलर स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव